GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

*****

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators **New Delhi, dated 15 .07.2019**

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 33 OF 2019)

Sub: Review of the facilitator scheme.

.....

Vide Commercial Circular no. 19 of 2019, instructions extending the facilitator scheme for another one year w.e.f. 01.04.2019 were circulated to Zonal Railways.

2. In view of various issues/requests received from Zonal Railways, the facilitator scheme has been further reviewed. In continuation of Commercial Circular no. 19 of 2019 dated 28.03.2019, the competent authority has now decided as under:-

2.1 Assistance to facilitator:- Spouses and adult children of retired railway employees may also be allowed to work as facilitators in addition to retired railway employees working as facilitators. The order of priority for engaging facilitator shall be as under:-

(a) Retired Railway employee.

(b) Spouse/Adult child of retired Railway employee.
(Only one person for one retired Railway employee to be nominated by him/her).

2.1.1 It should also be made very clear that spouse/adult children of retired railway employee shall not have any claim for employment. An undertaking to this effect on legal paper should also be taken.

2.1.2 In case of large number of applications for engagement as facilitator, Zonal Railways shall ensure that selection is done in a fair and transparent manner.

2.2 Modification in the number of ATVMs that can be made facilitator based:- As per. 2 (ii) of Commercial Circular 27 of 2013, 50% of the machines are earmarked for facilitators. It has now been decided that PCCMs of Zonal Railways may be delegated powers to decide on number of ATVMs to be made facilitator based.

2.3 It may be ensured that adequate measures are taken to encourage the general public to source tickets through passenger smart cards. Preference should be given to such passengers and to achieve this end, display boards screening a message should invariably be displayed on all ATVMs. Any complaint about disallowing smart card holders to purchase tickets from ATVMs shall also be viewed seriously.

2.4 Initiatives like integration of POS machines with ATVMs for payment through debit/credit cards have already been taken. Zonal Railways should take adequate steps to

proliferate this modality so as to encourage general public to book unreserved tickets through ATVMs.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

No. 2011/TG-I/10/ATVMs/Facilitators

New Delhi, dated 15.07.2019

Copy to:
PFA & CAO, All Zonal Railways.
Director (Audit), All Zonal Railways.

for Financial Commissioner/Railways

Copy to:

1) CCMs/PM and CCMs/PS, all Zonal Railways.
2) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2011/टीजी-I।10/एटीवीएम्स/फैसिलिटेटर्स **नई दिल्ली, दिनांक 15.07.2019**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33)

विषय: समन्वयक योजना की समीक्षा।

2019 के वाणिज्यिक परिपत्र सं.19 के तहत क्षेत्रीय रेलों को समन्वयक योजना को 01.04.2019 से अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाने के अनुदेश परिपत्रित किए गए थे।

2. क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों/अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, समन्वयक योजना की पुन: समीक्षा की गई है। दिनांक 28.03.2019 के 2019 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 19 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अब निम्नानुसार विनिश्चय किया गया है:-

2.1 समन्यक को सहायता:- समन्वयक के रूप में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के अलावा, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के पति/पत्नी और वयस्क बच्चों को भी समन्वयक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। समन्वयक की नियुक्ति के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:-

(क) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी
(ख) सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी का पति/पत्नी/वयस्क बच्चा
(एक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी द्वारा केवल एक व्यक्ति को नामित किया जाएगा)।

2.1.1 किसी भी स्थिति में किसी सेवारत कर्मचारी को छुट्टी वाले दिन भी एटीवीएम के माध्यम से टिकट बेचने के कार्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह आचरण नियम का उल्लंघन है जिसमें यह निर्धारित है कि सेवा आचरण नियम के तहत किसी सेवारत कर्मचारी/सरकारी सेवक को उसकी ड्यूटी के समय के बाद भी किसी अन्य स्रोतों से कमीशन(दलाली)/पारिश्रमिक अर्जित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि कोई रेल सेवक कार्यालय समय के बाद किसी अंशकालिक नौकरी में आधिकारिक रूप से लगा हो तो यह ड्यूटी रोस्टर घंटों और रोजगार के घंटे विनियमन अधिनियम का उल्लंघन होगा। इस शर्त का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.1.2 यह भी बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के पति/पत्नी/वयस्क बच्चे नौकरी का कोई दावा नहीं करेंगे। इस संबंध में उनसे वैधिक कागज पर एक वचन-पत्र भी ले लेना चाहिए।

2.1.3 समन्यक की नियुक्ति के लिए अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में क्षेत्रीय रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि चयन निष्पक्ष और पारदर्शी विधि से हो।

2.2 एटीवीएम जिसे समन्वयक आधारित बनाया जा सके, की संख्या में संशोधन:- 2013 के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 27 के 2(ii) के अनुसार, 50% मशीनें समन्वयकों के लिए चिह्नित हैं। अब यह विनिश्चय किया गया है कि इसे समन्वयक आधारित बनाने के लिए एटीवीएम की संख्या तय करने के प्राधिकार क्षेत्रीय रेलों के पीसीसीएम को प्रत्यायोजित किये जाएँ।

TG-1 P. OFF.

2.3 यह सुनिश्चित किया जाए कि पैसेंजर स्मार्ट कार्ड से टिकट निकालने के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हैं। ऐसे यात्रियों को प्रमुखता दी जाए और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संदेश दर्शाने वाले डिस्प्ले बोर्ड सभी एटीवीएम पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किए जाएं। एटीवीएम से टिकटों की खरीद के लिए स्मार्ट कार्ड धारकों को मना करने से संबंधित किसी शिकायत को भी गंभीरता से लिया जाएगा।

2.4 डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने के लिए एटीवीएम के साथ पीओएस मशीनों को एकीकृत करने जैसे कदम पहले ही उठाए गए हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस विधि का प्रसार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि एटीवीएम के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए आम जनता को प्रोत्साहित किया जा सके।

3. सभी संबंधितों को तदनुसार आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2011/टीजी-I|10/एटीवीएम/फैसिलिटेटर्स **नई दिल्ली, दिनांक 15.07.2019**

प्रतिलिपि प्रेषित:
प्रधान वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्यपालक निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्यपालक निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त वाणिज्य, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, धनबाद, उत्तर रेलवे, चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे, त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे, मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

*****